रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2242] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2014/कार्तिक 12, 1936
No. 2242] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2014/KARTIKA 12, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

का.आ. 2808(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1192(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2001 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 29.300 कि.मी. से 212.000 कि.मी. (दिल्ली हरियाणा सीमा से हरियाणा/पंजाब सीमा) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाषित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2013, सा.का. नि. 26(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2014 द्वारा संषोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 29.300 कि.मी. से 86.000 कि.मी. (दिल्ली हरियाणा (कुण्डली) सीमा से पानीपत सेक्षन) तक का खण्ड के उपयोग के लिए कुल समकक्ष लम्बाई 60.768 कि.मी., जिसमें सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 56.248 कि.मी. और 0.452 कि.मी. की संरचना जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है), की समकक्ष लम्बाई 4.52 कि.मी. शामिल है, के चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयेाग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है, और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से, उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है अर्थातः—

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धूरी वाले)	2.20
तीन धुरी वलो वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
51.400 कि.मी. पर (सोनीपत जिले में मूरथल गांव के पास)	56.248

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए, ऐसी संरचनाओं की लम्बाई का समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
51.400 कि.मी. पर (सोनीपत जिले में मूरथल गांव के पास)	0.452	4.52

* 60 मीटर से अधिक वाली संरचनाओं का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:–

	चैनेज		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी. से	कि.मी. तक	
(i)	32.250	32.322	70.02
(ii)	48.600	48.685	85.05
(iii)	62.100	62.181	81.05
(iv)	73.200	73.416	216.05
		कुल	**452.17**

IndiaCode

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:–

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
प्चास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा को पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाता, ऐसे यांत्रिक वाहन के नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेष कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी 1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित कराया जाएगा और तत्पष्चात् उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा और उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा।

10. परियोजना की वर्तमान पूंजीगत लागत 297.62 करोड़ रुपए है। (मैसर्स महारिया राज (सं.उ.) विवाचन के अधीन 205.15 करोड़ रुपए का दावा करते हैं) प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा।

[भाराराप्रा/सीओ/14—15/पीआइयू अम्बाला/मूरथल]

अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2014

S.O. 2808(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192(E), dated the 3rd December 2001, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 29.300 to kilometer 212.000 (Delhi Haryana Border to Haryana/ Punjab Border) of National Highway No. 1 in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014 (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent length of 60.768 km comprising of net road length of 56.248 km and 0.452 km of structure (having length more than 60 m) with an equivalent length of 4.52 km (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections, for the use of the section from kilometer 29.300 to kilometer 86.000 on the National Highway No. 1 (Delhi Haryana (Kundli) Border to Panipat section) in the State of Haryana and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At km 51.400 (near Village Murthal in Sonepat district)	56.248

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)
At km 51.400 (near Village Murthal in Sonepat district)	0.452*	4.52

* The details of more than 60 m structures are as under:

	Chainage		Length (m)
	From km	To km	
(i)	32.250	32.322	70.02
(ii)	48.600	48.685	85.05
(iii)	62.100	62.181	81.05
(iv)	73.200	73.416	216.05
		Total	**452.17**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the national highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under sub-rule (2) of rule 4.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The present capital cost of the project is Rupees 297.62 crores (M/s Maharia Raj (JV) claims of Rs 205.15 Crores are under arbitration). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[NHAI/CO/ 14-15/ PIU Ambala /Murthal]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.